



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019 (श्रावण 1, शक संवत् 1941)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. बधाई

चन्द्रयान-2 की सफलता में देश एवं प्रदेश के वैज्ञानिकों के योगदान पर सदन द्वारा बधाई

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कल चन्द्रयान-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर, देश के वैज्ञानिकों ने विश्व में भारत को गौरवान्वित किया है. मध्यप्रदेश के ये वैज्ञानिक मंदसौर के श्री हिमांशु शुक्ला एवं कटनी की मेघा भट्ट ने टीम बूस्टर तैयार कर अपना महती योगदान देकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है. अतः दोनों होनहारों को समूचा सदन एवं मध्यप्रदेश की जनता की ओर से बधाई और हम सब उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि मैं भी इस बधाई से जुड़ना चाहता हूँ, जब भी इस प्रकार की सफलता की बात हुई, कुर्बानी या शहीदों की बात हुई, मध्यप्रदेश का नाम आवश्यक रूप से आता है. यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मध्यप्रदेश के हिमांशु शुक्ला जो मंदसौर के हैं, मेघा भट्ट कटनी से हैं, वे इस अभियान से जुड़े रहे और इनके द्वारा बनाये गये बूस्टर से हमारा चन्द्रयान-2 का अभियान सफल रहा. यह विश्व में हमारी सफलता का उदाहरण बनेगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री यशपाल सिंह सिसौदिया, विश्वास सारंग, संजय सत्येन्द्र पाठक, लक्ष्मण सिंह, अजय विश्वाई, हरदीप सिंह डंग, सदस्यगण एवं डॉ. विजयलक्ष्मी साधू, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि भारत ने चांद पर झण्डा फहरा दिया. "चांद का सफर" और सूरज पर नजर" यह इस देश की विशेषता है. चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा यान उतरने वाला है, विश्व का कोई भी देश इस स्थान पर नहीं पहुँचा है, जहाँ भारत पहुँचने वाला है. यह सफर 48 दिन का है. यह बहुत प्रसन्नता और गौरवान्वित होने का क्षण है. हम सब इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ-साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी एवं डॉ. मनमोहन सिंह, देश की जनता के साथ हमारे प्रदेश के वैज्ञानिक श्री हिमांशु शुक्ला एवं सुश्री मेघा भट्ट एवं देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 157 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) किसानों के मुद्दे पर चर्चा करायी जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने उल्लेख किया कि किसानों के मुद्दे पर सदन के सत्र में चर्चा होनी चाहिए. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का नोटिस मैंने और माननीय सदस्यों ने भी दिया है. किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराएं. आसंदी ने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया कि मैं आज समय निर्धारित कर दूंगा.

(2) गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर क्रियान्वयन की मांग की जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य ने उल्लेख किया कि प्रदेश के गरीबों से जुड़े हुए मेरे दो प्रश्न हैं जिनका हम विधान सभा के इस पूरे सत्र में चर्चा नहीं कर पाए थे. (1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही थी. बारिश में अधिकांश लोगों ने अपने पुराने घर तोड़ लिए हैं. बारिश में उन्हें परेशानी हो रही है, कुछ ने तिरपाल लगा लिए हैं परंतु वह भी काम नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास की जो किश्ते हैं वह जारी नहीं हो रही हैं. आसंदी व्यवस्था दे कि जिन लोगों ने अपने घर, मकान तोड़ लिए हैं, उनकी शेष किश्तें उनके लिए प्रदान की जाएं. (2) संबल योजना के अंतर्गत जिन लोगों के लिए राशन दिया जा रहा था, वह देना बंद कर दिया है, उनके राशन कार्ड रद्द हो गए हैं जबकि वह बी.पी.एल. में भी आते हैं. क्या राशन का कोटा कम हो गया है, यदि कोटा ज्यों का त्यों हैं तो उन गरीब लोगों के लिए जो एक रुपए किलो का राशन यथावत मिलता रहे. इस पर आप अपनी व्यवस्था दें.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि बिलकुल मेरे यहां से लिया जाएगा.

(3) कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करायी जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने उल्लेख किया कि विषय बहुत गंभीर है सतना जिले के नागौर थाना के जिगनार गांव में दबंगों के द्वारा अनुसूचित जाति की महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया. प्रदेश के अंदर लॉ एण्ड आर्डर की भयावह स्थिति बनी हुई है. ब्यावरा में सरेराह गोलियां चलीं. जिसमें 2 गोलियां महिलाओं एवं 2 पुरुषों को लगी. इससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है. इसलिए हमारे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराएं.

(4) सिवनी विधान सभा क्षेत्र में हुई दो पुलिस अधिकारियों की मृत्यु होना

श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो पुलिस अधिकारियों श्री सतपाल सिंह बघेल, ए.एस.आई. एवं श्री शंकर लाल बघेल की मृत्यु हो गई है. जिसमें ढैंकी से सतपाल सिंह बघेल ए.एस.आई. एवं बंडोल से शंकर लाल बघेल की मृत्यु हो गई है लेकिन आज तक उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है. सरकारी बटालियन का वाहन उन पर चढ़ गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई. ये दोनों व्यक्ति रिश्तेदार थे. वो अपने ही एक पुलिस अधिकारी की पत्नी की मौत उनके घर जा रहे थे. छिन्दवाड़ा की इस घटना को एक माह हो गया है. इस पर कार्यवाही हो.

(5) अटेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रजिस्टर्ड असत्य प्रकरणों की जांच की जाना

श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि अटेर विधान सभा क्षेत्र के चार थाना क्षेत्रों में करीब 20 लोगों पर धारा 307, 3 लोगों पर धारा 302 और 2 लोगों पर धारा 376 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं. इसमें जांच करवाई जाए.

(6) PMT परीक्षा के फर्जीवाड़े में प्राप्त गुमनाम पत्र की जांच की जाना

श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरे कल के तारांकित प्रश्न क्रमांक 20 में गृह मंत्री महोदय ने जानकारी दी थी कि विभाग को दिनांक 20 जून 2013 को गुप्तचर शाखा इंदौर की PMT परीक्षा के फर्जीवाड़े के संदर्भ में कोई गुमनाम पत्र नहीं मिला था. किंतु वर्ष 2014 को विधान सभा में इस बात का उल्लेख तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्थगन पर चर्चा के दौरान किया था. आसंदी व्यवस्था दे कि जब विधान सभा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने गुमनाम पत्र पर जांच के आदेश दिए तो वह गुमनाम पत्र आज कहाँ है ?

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि मैं शून्यकाल में आपको समय दे रहा हूँ. मैं जो नई व्यवस्था और नई प्रणाली चालू कर रहा हूँ, अगर आप सभी इसे व्यवस्थित चलायेंगे, तो ही मैं इसे चलाऊंगा. शून्यकाल यानि केवल सूचना. क्या हुआ है उसकी सूचना दे दीजिये. मैंने पूर्व में भी व्यवस्था दी है कि मैं एक दिन में सिर्फ पांच लोगों को, जिसकी लॉटरी निकल जायेगी, बोलने दूंगा.

(7) निशात एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों से कब्जा किया जाना.

श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने उल्लेख किया कि बैसरिया रोड स्थित लगभग 34 हजार स्केवेयर फिट जमीन पर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से निशात एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बेजा कब्जा किया जा रहा है. नगर-निगम, पुलिस, नजूल आदि सब में शिकायत की गयी, उनके द्वारा कब्जा रोकने के लिये निर्देश भी दिये गये, परन्तु वो कब्जे नहीं हट पाये हैं. करोड़ों रुपये की जमीन पर बेजा कब्जा हो रहा है. आप आसंदी से व्यवस्था दें. आसंदी ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि शून्यकाल में माननीय सदस्य जो बोले हैं वो विभागों को सूचना जायेगी.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य की भोपाल हुजूर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क का कार्य पूर्ण न किये जाने,
- (2) श्री अनिल जैन, सदस्य की निवाड़ी जिले में अधिकारियों की कमी होने,
- (3) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र बागली के मुख्य चिकित्सालय में डॉक्टर की कमी होने,
- (4) श्री गोवर्धन दांगी, सदस्य की जिला राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा स्थित स्टाप डेम की मरम्मत कराये जाने,
- (5) श्री नीरज विनोद दीक्षित, सदस्य की छतरपुर जिले के नौगांव कैमाहा सड़क मार्ग का निर्माण न किये जाने,
- (6) श्री विष्णु खत्री, सदस्य की भोपाल बैरसिया सड़क मार्ग पर नाली का निर्माण न किये जाने,
- (7) श्री संजय शर्मा, सदस्य की भोपाल से जबलपुर मुख्य मार्ग के तेंदुखेड़ा से मदनपुर के बीच जीर्णोद्धार पुलों की मरम्मत कराये जाने,
- (8) श्री देवीलाल धाकड़, सदस्य की गरोह वि.स. क्षेत्र साठखेड़ा सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य की राशि किसानों के खातों में जमा न होने,
- (9) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के ग्राम छई के कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने तथा
- (10) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में वर्षा न होने के कारण धान रोपड़ में कठिनाई होने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का बत्तीसवां एवं तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, क्रमशः वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015, शासन के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखे.

(2) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का 6 वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा.

6. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) ध्यानाकर्षण सूचनाओं का उत्तर संबंधित विभाग द्वारा माननीय सदस्यों को न दिया जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि ध्यानाकर्षण अथवा स्थगन की सूचनाएं जब पहले देते थे उनके आपके सचिवालय में उत्तर आ जाते थे, उसी दिन सूचनाएं संबंधित विभागों को प्रेषित हो जाती थीं. और विभागीय उत्तर एक दो दिन में आ जाते थे और वह समस्या खत्म हो जाती थी. फिर आसंदी उसको चर्चा में लें अथवा न लें. लेकिन बहुत कुछ समस्या का हल जाता था. लेकिन इस सत्र में यह देखने को मिला है कि सूचनाएं जानकारी तथा उत्तर के लिये नहीं भेजी जाती हैं. इसलिये मैं चाहता हूं कि पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाये.

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि मैं बता रहा हूं कि ऑन लाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह से सूचनाएं भेजी जा रही हैं. अगर आपको ऐसा अंदेशा है. पूर्व में कार्यसूची को मैं देखता था ध्यानाकर्षण 4 लिये जाते थे उसमें 20-25 की सूची लगी रहती थी, पहले हम ऐसे ही देखते थे. आप वही चाह रहे हैं. जब सूचना पहुंच जायेगी तो वह कार्यसूची में भी आ जायेगी. रिप्लाई तो बहुत सारी आ चुकी हैं, मैं उसको कार्यसूची में छाप नहीं पाया.

मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि आप संबंधित विभाग को सूचित करने का कष्ट करें कि जो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं यहां आती हैं उन्हें सचिवालय से विभिन्न विभाग को उसका पालन करने हेतु प्रेषित कर दिया जाता है, लेकिन समय पर विभाग उनके उत्तर देकर नहीं पहुंचाते हैं. वो इसको सुनिश्चित करवाएं.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय मंत्री ने आसंदी को आश्वस्त किया कि आपके निर्देश का पालन होगा, लेकिन उसमें विधान सभा एवं संसदीय कार्य विभाग दोनों की सामूहिक जवाबदारी है कि समय पर विभाग से सूचना का जवाब मांगे तथा सब लोगों को उपलब्ध करवायें.

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री को अवगत करवाया कि मेरे सचिवालय द्वारा सूचनाएं समय पर भेजी जाती हैं, लेकिन मंत्रालय में बैठे हुए विभिन्न विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वो उत्तर समय पर पहुंचाए.

(2) प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों की जानकारी प्रश्न एवं संदर्भ समिति के माध्यम से दी जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि जो प्रश्न चर्चा में आते हैं अगर उनका उत्तर मंत्री द्वारा गलत दिया जाता है तो माननीय सदस्य प्रश्न एवं संदर्भ समिति के माध्यम से उसका निराकरण करा लेते थे. इसलिए आपस अनुरोध है कि इस व्यवस्था को पुनः प्रारम्भ करें.

अध्यक्ष महोदय ने माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया कि जिन प्रश्नों में कहीं कोई दुविधा है और उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वो लिखकर प्रश्न एवं संदर्भ शाखा दे सकता है या मुझे पत्र के माध्यम से लिख कर दे दें. मैं उसे स्वयं प्रश्न संदर्भ शाखा में पहुंचा दूंगा, ताकि उसमें न्यायोचित कार्यवाही हो सके.

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य ने सीहोर जिले की इच्छावर तहसील में खसरे की नकल देने हेतु अवैध राशि की वसूली किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री संजय यादव, सदस्य ने भोपाल में भूमि पूजन के बाद भी विकास कार्य न होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) डॉ. मोहन यादव, श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्यगण ने उज्जैन की विनोद मिल के श्रमिकों को बकाया राशि न मिलने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्रम मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह, सदस्य ने सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाखन सिंह यादव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणातुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
- (2) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
- (4) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
- (5) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
- (6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
- (7) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी शहर)
- (8) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
- (9) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
- (10) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
- (11) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
- (12) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
- (13) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
- (14) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (15) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
- (16) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
- (17) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (18) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
- (19) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (20) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
- (21) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (22) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (23) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (24) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (25) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
- (26) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
- (27) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
- (28) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे (जिला-बालाघाट)
- (29) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-होशंगाबाद)
- (30) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
- (31) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
- (32) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
- (33) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
- (34) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-भोपाल)
- (35) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी' (जिला-अशोकनगर)
- (36) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)

- (37) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
- (38) श्री सुरेश धाकड़ (जिला-शिवपुरी)
- (39) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
- (40) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-निवाड़ी)
- (41) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया (जिला-भिण्ड)
- (42) श्री हरिशंकर खटीक (जिला-टीकमगढ़)
- (43) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
- (44) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
- (45) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (46) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
- (47) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (48) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
- (49) श्री रामखेलावन पटेल (जिला-सतना)
- (50) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
- (51) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी (जिला-शिवपुरी)
- (52) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल शहर)
- (53) श्री राम दांगोरे (जिला-खण्डवा)
- (54) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
- (55) श्री जसमंत जाटव छितरी (जिला-शिवपुरी)
- (56) श्री सुभाष रामचरित्र (जिला-सिंगरौली)
- (57) श्री कमल पटेल (जिला-हरदा)
- (58) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय (जिला-सीहोर)

9. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-
“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो”.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

- (1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
- (2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019 को अपराह्न 3.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी.
- (3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019 को अपराह्न 4.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
- (4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, गुरुवार दिनांक 25 जुलाई, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
- (5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।”

10. वर्ष 2008-2009 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक

(i) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

“ दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 43 एवं 62 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को पांच करोड़, उनतीस लाख, पच्चीस हजार, सात सौ तिहत्तर रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. ”

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(ii) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

11. वर्ष 2010-2011 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक.

(i) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

“ दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 23 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को बारह करोड़, बासठ लाख, सैंतीस हजार, सात सौ चालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. ”

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(ii) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश गौ-भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 26 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

श्री गौरीशंकर चुतर्भुज बिसेन, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पारित किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप पटेल

13. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि इस विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) श्री कुणाल चौधरी

(3) श्री जालम सिंह पटेल

(4) डॉ. मोहन यादव

डॉ. गोविन्द सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(अपराह्न 2.00 से 3.35 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति “एन.पी.”) पीठासीन हुए.

(5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
- (2) श्री देवेन्द्र वर्मा
- (3) कुंवर विजय शाह

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(6) श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन
- (2) श्री जजपाल सिंह “जज्जी”
- (3) डॉ. सीतासरन शर्मा

श्री सचिन सुभाष यादव ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 में विद्यमान परन्तुक की प्रथम पंक्ति में शब्दावली “ऐसी गठित समिति को” के स्थान पर “जो गठित समिति अच्छा कार्य कर रही है उन्हें छोड़कर” शब्दावली प्रतिस्थापित की जाए.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(7) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री बहादुरसिंह चौहान
- (2) श्री कुणाल चौधरी

श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ.

15. अध्यक्षीय घोषणा **शासकीय विधेयकों को आज ही विचार में लिये जाने विषयक**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पद 8 "शासकीय विधि विषयक कार्य के उपपद 8 एवं 15" में उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने उन्हें आज ही विचार में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(8) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 26 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री विश्वास सारंग
- (2) श्री घनश्याम सिंह
- (3) श्री चैतन्य कुमार कश्यप

श्री जीतू पटवारी ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

यथासंशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 26 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(9) डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री अजय विश्वाई
- (2) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष

डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री केदारनाथ शुक्ल
- (2) श्री विश्वास सारंग
- (3) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष (चर्चा अपूर्ण)

17. अध्यक्षीय घोषणा स्वल्पाहार की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(11) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष
- (2) श्री देवीलाल धाकड़ एडव्होकेट
- (3) श्री विनय सक्सेना
- (4) श्री शरदेन्दु तिवारी

श्री पी.सी. शर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(12) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री केदारनाथ शुक्ल
- (2) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव

19. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 के उप पद 14 तक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री पी.सी. शर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(13) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

श्री अजय विश्वाई, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री लाखन सिंह यादव ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

21. अध्यक्षीय घोषणा

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रवर समिति को सौंपा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) प्रवर समिति को सौंपा गया है. मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 68 (1) के अधीन प्रवर समिति में दोनों पक्षों के 8 सदस्य होंगे. विधि मंत्री इस समिति के पदेन सदस्य होंगे. समिति का गठन शीघ्र किया जाएगा.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी को सूचित किया कि आप की व्यवस्था का हम पालन करेंगे. यह ऐसा मुद्दा नहीं था कि प्रवर श्रेणी को भेजा जाये. लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है. जब आपने कहा है तो हम कल वित्तमंत्री जी से चर्चा कर लेंगे.

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री को अवगत कराया कि यह तो अभी एक विश्वविद्यालय पर किया है मेरा ऐसा मानना है कि जिस क्षेत्र में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हैं वहां के संबंधित विधायक को वहां का मनोनीत सदस्य होना चाहिए. मैंने एक और इंगित किया है. आप कल लाकर मुझे सूचित कर दो तो मैं कल कर लूंगा. हमारे जो माननीय अधिकारीगण इसको बनाते हैं वह इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जिस विधान सभा में यह पारित होने जा रहा है क्या वहां के विधायकों का ध्यान रखा गया है. मेरा इशारा सिर्फ उस और है उसे आप लोग अन्यथा न लें.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि आपके वरिष्ठ सचिवों की जो कमेटी होती है उससे आगे केबिनेट से हो जाता है. मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की उसमें एक प्रकार से हिस्सेदारी रखें, अपने सुझाव रखें, विचार रखें तो यदि प्रवर समिति की परम्परा होती है तो यह अपने आप में एक गौरव की बात है. हमारे संसदीय प्रजातंत्र के लिए, कम से कम आप लोगों के लिए उसमें विचार विनिमय करने का अवसर मिलेगा. यह आपकी अल्प समय में बहुत अच्छी रूलिंग आई हैं.

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(14) श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री अजय विशनोई

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

(2) श्री घनश्याम सिंह

(3) कुँवर विजय शाह

(4) श्री आशीष गोविंद शर्मा

श्री तुलसीराम सिलावट ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

अपराह्न 5.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2019 (श्रावण 2, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 23 जुलाई, 2019

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा